निर्णय श्री इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :109/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

कैलाश दत्तक पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी ग्राम बोबाडी तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

श्री शरद तिवाडी आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण।

2. दुर्गा प्रसाद पुत्र गोपी
3. घनश्याम पुत्र गोपी
4. महेश पुत्र हरिनारायण पौत्र गोपी
5. ओम प्रकाश पुत्र मोहन लाल
6. दिनेश कुमार पुत्र कैलाश चन्द
7. प्रहलाद कुमार पुत्र मोहन लाल
8. बजरंग लाल पुत्र छाजूराम
9. योगेश कुमार पुत्र हनुमान सहाय
10. राजकुमार पुत्र हनुमान सहाय
11. ललित किशोर पुत्र छाजूराम

समस्त जाति ब्राह्मण, निवासियान ग्राम बोबाडी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण।

12. छीतर पुत्र ईसरा
13. पूरण पुत्र ईसरा
14. प्रभू पुत्र ईसरा
15. परसा पुत्र ईसरा

समस्त जाति रेगर, निवासी ग्राम गठवाडी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण ।

16. प्रकाश पुत्र भैरू
17. लक्ष्मीनारायण पुत्र भैरू
18. हरिनारायण पुत्र भैरू

समस्त जाति जाट, निवासियान ग्राम बोबाडी, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण।

अप्राथी गण

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 67/2020 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 46/2020 ब उनवानी कैलाश बनाम दुर्गा प्रसाद व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री नेमीचन्द जलवानिया अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री राजेश कुमार पारीक अधिवक्ता अप्रार्थी 10 की की ओर से ।

निर्णय दिनांक 09.07.2024

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण के समक्ष प्रकरण संख्या 67/2020 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 46/2020 ब उनवानी कैलाश बनाम दुर्गा प्रसाद व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार पारीक ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त मूल वाद पत्र के प्रतिवादी संख्या 4, 6 व 8 अप्रार्थी संख्या 5, 7 व 9 ओम प्रकाश वगैरह पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ करने में लगे हुये है एवं आये दिन पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते जाते है तथा उन पर राजनैतिक दबाव बना कर प्रकरण का अपने पक्ष में निर्णय करवाने को आमादा है। दिनांक 03.06.2024 को प्रार्थी ने निवेदन किया कि उक्त पत्रावली की सुनवाई कर मैरिट के आधार पर उक्त वाद पत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का फैसला कर दें, ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके। अप्रार्थी संख्या 5, 7 व 9 ने कहा कि पीठासीन अधिकारी से हमारी सांठ गांठ हो चुकी है तथा पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण को जल्द से जल्द हमारे पक्ष में निस्तारित कर देंगे और हम किसी प्रकार के नियमों को नहीं मानते है। पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण को अप्रार्थी संख्या 5, 7 व 9 ओमप्रकाश वगैरह के पक्ष में निस्तारित करके रहेंगे । प्रार्थी को उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए यह पूर्ण अन्देशा हो चुका है कि उक्त प्रकरण पीठासीन अधिकारी एवं मूल वाद पत्र के प्रतिवादी रेणु वगैरह के मध्य सांठ गांठ हो चुकी है एवं प्रकरण ओम प्रकाश व अन्य

सहायक कलक्टर
जमवारामगढ़ (ग्रामीण)

के पक्ष में निस्तारित किया जायेगा । उक्त कार्यवाही से अधीनस्थ न्यायालय की बदनियती स्पष्ट प्रतीत होती है। अप्रार्थी संख्या 5, 7 व 9 की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई आशा शेष नहीं रही है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को न्याय पूर्ण निस्तारण हेतु किसी अन्य सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 10 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण का निस्तारण नही होने देने की गरज से काल्पनिक, मिथ्या व मनघढन्त आरोप के साथ मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक देरी करना चाहता है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमावें। ।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)